न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 31/2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1 गीता पुत्री उगमा जाट निवासी बोरड़ा तह0 शाहपुरा
2 तेजू पिता उगमा जाट निवासी बोरड़ा तह0 शाहपुरा
3 मनभर पुत्री उगमा जाट निवासी बोरड़ा तह0 शाहपुरा
4 मोहनी पत्नि उगमा जाट निवासी बोरड़ा तह0 शाहपुरा
5–6 रविशंकर, रामस्वरूप पिता उगमा जाट निवासी बोरड़ा तह0 शाहपुरा
7 सीता पुत्री उगमा जाट निवासी बोरड़ा तह0 शाहपुरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1 मगना पिता छोगा जाट निवासी बोरड़ा तह0 शाहपुरा
2 महावीर पिता हीरा जाट निवासी बोरड़ा तह0 शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री अनिल कुमार शर्मा**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1056 रकबा 0.29, 1061 रकबा 0.46, 1080 रकबा 0.05, 1081 रकबा 0.03, 1082 रकबा 0.06, 1083 रकबा 0.05, 1198 रकबा 1.39, 1199/2921 रकबा 0.15 कुल किता 8 रकबा 2.48 हैक्टेयर** हैक्टेयर का प्रार्थीगण खातेदार /संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बोरड़ा संवत** 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण खातेदार/ सयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **बोरड़ा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 8 रकबा 2.48 हैक्टेयर हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी ऑफ सीजन में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 600/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Shilpa Singh
Date: 2021.01.20 15:50:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)